8/10/18

पत्रावली पर पूर्व में अपना दावा पेश किया जिसे शामिल निस्तार किया गया पुनः पटवारी व नायब तहसीलदार के द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार व नियमानुसार हेतु निर्देशित किया गया था जो आवेदक द्वारा मौका पर उपस्थित गवाह के मुताबिक व पटवारी व नायब तहसीलदार के हस्ताक्षर युक्त पेश किए गए जिसमें बताया गया ख.नं. 1748 के.पी. रास्ता मौके पर आराजी मोहकमा 1.04 बीघा भूमि पर काबिज है परन्तु मौके पर खड़ी फसल नहीं है अभाव के कारण हो गयी पूर्व से ही काबिज परन्तु अपीलार्थी को उक्त भूमि से अतिक्रमण चारित किया जाकर मौके से भौतिक रूप से बेदखल करने का निर्णय पारित किया जाता है तथा अपीलार्थी को आबन्ध किया जाता है कि आईन्दा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किये जाने तथा उक्त भूमि का वार्षिक लगान रूपये 50 पचास के हिसाब से बीस रूपया मात्र बतौर जुर्माना आरोपित किया जाता है जो वसूल हो।

तहसील राजस्व लेखाकार और पारवत ग्राम कानूनगो एवं पटवारी हलका 1 मु. अ.नि. को वसूली एवं बेदखली हेतु लिखा जाकर निर्णय आज दिनांक 8/10/18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली इजराय में दर्ज हो।

तहसीलदार, ओसियां
जिला - जोधपुर

(पत्रावली-2 अ.नि.)

8/10/18

8/10/18

20/-